राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 173/2018

1. नीमली देवी पत्नी स्व. रामनाथ
2. बालेश्वर पुत्र स्व. रामनाथ
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामनाथ
4. नन्दकिशोर पुत्र स्व. रामनाथ
5. रामसिंह पुत्र स्व. रामनाथ
6. शारदा पुत्री रामनाथ
7. मन्जू पुत्री रामनाथ जाति मेघवाल निवासी गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामाकिशन शाह जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 8 खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
2. भाताराम पुत्र गुटाराम मेघवाल निवासी गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं
3. रूकमणी पत्नी स्व. नागर
4. किशोर कुमार पुत्र स्व. नागर
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. नागर जाति मेघवाल निवासी गोठड़ा तहसील खेतड़ी।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.....अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने

निर्णय **दिनांक 12–10–2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम गोठड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 के खाता सं. 72 के ख.नं. 463 रकबा 0.22 है., ख.नं. 466 रकबा 0.05 है., ख.नं. 468 रकबा 1.02 है., ख.नं. 469 रकबा 0.08 है., खनं. 1077/461 रकबा 0.60 है., ख.नं. 1079/462 रकबा 0.27 है., ख.नं. 1082/470 रकबा 0.03 है., ख.नं. 1084/477 रकबा 0.30 है. कुल किता 8 कुल रकबा 2.57 है. के संयुक्त खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 व राजेश कुमार पुत्र नागर दर्ज रिकार्ड है और मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है राजेश कुमार पुत्र नागर अविवाहित फौत हो गया जिसके विधिक वारिश अप्रार्थी सं. 3 लगायत 5 है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 ख.नं. 466 में कदीम से रिहायश भी करते हैं। प्रार्थीगण की व अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 की उपरोक्त वर्णित भूमि में आवागमन के लिए आम सड़क खेतड़ी कॉपर स्टेट हाईवे नं. 13 से पश्चिम दिशा में ख.नं. 465 की दक्षिणी म्याल के उपर से कदीमी पगडण्डीनुमा रास्ता है उसी से होकर अपने खेत व मकान में आते जाते हैं और खेत ख.नं. 465 खाली होता है तो उधर से ही अपने खेत व मकान में साधन लाते व ले जाते हैं। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ग्राम गोठड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत्

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.12 17:27:25 IST
Reason: SelfAttested

2070 लगायत 2073 के खाता सं. 8 के ख.नं. 465 रकबा 0.93 है. की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। नजरी नक्शे में लाल सुर्ख स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण का यह रास्ता 100 वर्षों से उनके पूर्वजों के समय से आवागमन के रास्ते के रूप में साधन लाने व ले जाने के काम में आता रहा है तथा उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 463, 466, 468, 469, 1077/461, 1069/462, 1082/470, 1084/477 तक पहुंचने के लिए मौजूद है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अनुसार प्रतिकर देने के लिये एवं भूमि के बदले भूमि देने का निवेदन किया तो अप्रार्थी सं. 1 इंकार हो गया जबकि उक्त रास्ता प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से ही विद्यमान रहा है और यहीं से ही उपयुक्त रास्ता संभव है। इसलिये यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के जरिये राज0 का0 अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है।

अतः आवेदनद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की वाके ग्राम गोठड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ख.नं. 463, 466, 468, 469, 1077/461, 1079/462, 1082/470, 1084/477 में जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 की भूमि ख.नं. 465 की दक्षिणी म्याल से नजरी नक्शा के अनुसार 12 फुट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नकशा तरमिम किया जावे व उक्त रकबा के लिए धारा 251(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदार को दिलवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वर्णित भूमि ख.नं. 466 के अलावा ख.नं. 469 में भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 मकान बनाकर आबाद है मौके पर ख.नं. 469 व 466 में चार–पांच ढाणियां अलग–अलग भू– भाग पर बनी हुई है एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने भूमि ख.नं. 466 व 469 का भी मौके पर बंटवार कर रखा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 एवं भैरूराम के वारिशान पैदल आवागमन के लिये ख.नं. 465 में छोड़ी गई चार फुट चौड़ी भूमि को काम लेते थे एवं अपने मकानों के निर्माण के लिये अथवा जरूरत के अनुसार जब उन्हें कोई वाहन लाना पड़ता है तो वे ख.नं. 477 व 475 की पश्चिमी व ख.नं. 474 के पूर्वी में से ख.नं. 469 व 466 में आवागमन करते हैं। अज भी मौके पर ख.नं. 474, 475, 477 एवं 478 की दक्षिणी बाड़ के सहारे से पुख्ता डामर की सड़क बनी हुई है जो स्टेट हाईवे नंबर 13 से जाती है आज भी मौके पर उपरोक्त सड़क से ख.नं. 466 के व 474, 475 व 478, 479 के खातेदार उपरोक्त सड़क से आवागमन करते हैं जब वाहन लाने की आवश्यकता नहीं होती तो वे रास्ते को छड़ियों से बन्द कर देते हैं वस्तुतः आवेदकगण ने यह आवेदन महज 466 के खातेदारों के लिये नहीं किया है अपितु 474, 475, 478 के खातेदारों के लिये भी किया है क्योंकि उपरोक्त सभी ख.नं. के खातेदार अप्रार्थी सं. 1 की भूमि ख.नं. 465 में दक्षिणी मेड के सहारे से आवागमन करते हैं। भूमि खसरा नंबर 465 का सड़क के सहारे का 1500 वर्गमीटर भूमि का गैर मु. आबादी भूमि में परिवर्तन हो चुका है जिसका इंतकाल संख्या 68 व 85 के द्वारा गैर मु. आबादी भूमि का 1500 वर्गमीटर रकबा प्रतिवादी ओमप्रकाश के नाम चढ़ चुका है एवं प्रार्थीगण जहां से रास्ता मांगना चाहते हैं वह अप्रार्थी सं. 1 की गैर मु. आबादी भूमि में से मांगा गया है जबकि गैर मु. आबादी भूमि में से धारा 251(क) के तहत रास्ता प्रदान करने का किसी भी राजस्व अधिकारी को अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण को सड़क से अन्य पुख्ता सड़का का रास्ता उपलब्ध है जो वे काम में लेते आ रहे हैं उक्त रास्ता ख.नं. 474, 475 की मेड़ में से वैसे भी प्रार्थीगण को ख.नं. 474, 475 में से रास्ता दिया जाता है तो उपरोक्त खेतों के काश्तकारों को कोई विशेष हानि नहीं है जबकि अप्रार्थी ओमप्रकाश के खेत में से रास्ता देने पर उसकी 8 फुट ऊंची व सैंकड़ो गज

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.12 17:27:25 IST
Reason: SelfAttested

लम्बी दीवार जिसको बनाने में लाखों रूपये खर्च हुये हैं। इसलिए ओमप्रकाश को अत्यधिक हानि होगी। इसलिये उपरोक्त कारणों से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251(क) के तहत चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण ने दिनांक 22.03.2019 को आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 की भूमि के दक्षिण दिशा में दीवार होना व जिसकी लम्बाई 89 मीटर होना अपनी जांच रिपोर्ट के खण्ड नं. 3, 4 में अंकित किया है लेकिन यह दीवार कितनी पुरानी है यह अंकित नहीं किया है। पूर्वी व दक्षिण सीमा में 0.15 है. भूमि आवासीय रूपान्तरण है यह भी अंकित नहीं किया जबकि इसका कोई दस्तावेज व नक्शा अपनी जांच रिपोर्ट के साथ सलंग्न नहीं किया है। इससे साफ जाहिर है कि भू अभिलेख निरीक्षक ने अप्रार्थी सं. 1 को फायदा पहुंचाने की नियत से मिलीभगत कर चाही गई रिपोर्ट से अधिक तथ्य दर्ज किया है जिसका स्पष्टीकरण मंगवाया जाना आवश्यक है। गै.मु. नाला के उत्तर सीमा के साथ–साथ मौके पर डामरीकृत सड़क कॉपर कम्पनी के डैम तक चालू है जबकि यह अंकित नहीं किया कि यह डामर रोड़ कौन से खसरा नंबर में से है और यह भूमि कटान के नाले की है या वन विभाग की है यह एलसीएल कम्पनी की व्यक्तिगत डामर रोड़ है। ऐसा खुलासा भी जांच रिपोर्ट में नहीं किया गया है इस कारण से भी यह जांच रिपोर्ट निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर भूमि अभिलेख अधिकारी से स्पष्ट जांच रिपोर्ट मंगवाई जावे।

उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि बाबत मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 468, 1077/461, 1084/477 कृषि भूमि एवं मौके पर बने 6–7 पक्के मकानों के लिए आने जाने के लिए एसएच–13 सड़क से ख.नं. 465 में से 4 फुट चौड़ा रास्ता है जो सीधा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 1084/477 में आता है। उक्त रास्ते के चार फुट चौड़ाई के बाद दोनों तरफ पक्का डण्डा लगा हुआ है। खसरा नंबर 465 एसएच–13 सड़क लगती हुई 1500 वर्गमीटर आवासीय उद्देश्य से रूपान्तरित है। यह रास्ता निकटतम है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एवं आस पड़ौस की खातेदारी भूमि प साधन वगैरह ले जाने के लिए एचसीएल के द्वारा डाली गई मैंन सड़क एसएच–13 से पक्की डामर सड़क लगभग 500 मीटर के बाड़ से फट कर कच्चा रास्ता सलंग्न नजरी नक्शे में दिखाये गये खसरों से होता हुआ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 1077/461 में जाता है इसके बाद प्रार्थीगण की ही खातेदारी भूमि लगती है। उक्त कच्चा रास्ता मौके पर चालू है जिससे साधन आसानी से गुजर सकते हैं। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ता अत्यांतिक आवश्यकता का नहीं होकर सुविधाजनक उपयोग के लिए मालूम होता है। प्रार्थीगण के लिए एचसीएल के द्वारा डाली गई पक्की डामर रोड़ जो डैम पर जाती है से फट कर जाने वाले कच्चे रास्ते के अलावा साधन ले जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एचसीएल द्वारा बनाई गई डामर रोड़ से फट कर जाने वाला रास्ता डामर रोड़ के बाद लगभग 18 फुट चौड़ाई का है एवं निकटतम भी है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 1077/461 में एचसीएल द्वारा बनाई गई डामर रोड़ से फट कर कच्चा रास्ता जो राजकीय पहाड़, वन, नाला से होकर खातेदारी भूमि ख.नं. 1078/461 कुल रकबा 0.11 है. किस्म बंजड़ खातेदार सोनी पत्नी भैरूराम वगै0 जाति मेघवाल की खातेदारी भूमि से 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल से गुजर कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 1077/461 में जाता है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थीगण ने भूमि खसरा नंबर 463, 466, 468, 469, 1077/461, 1079/462, 1082/470, 1084/477 में आने–जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 465 में से

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.12 17:27:25 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी उक्त ख.नं. 465 रकबा 0.93 है. भूमि मुख्य सड़क पर होने के कारण पशु वगैरह से कृषि में नुकसान ना हो इस बाबत चार दीवारी निर्माण हेतु नायब तहसीलदार, खेतड़ी से विधिवत् रा0काश्तकारी अधिनियम की धारा 68 संपठित धारा 5/19 के तहत दिनांक 22.4.91 को अनुमति प्राप्त की थी। तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 468, 1077/461, 1084/477 कृषि भूमि एवं मौके पर बने 6–7 पक्के मकानों के लिए आने जाने के लिए एसएच–13 सड़क से ख.नं. 465 में से 4 फुट चौड़ा रास्ता है जो सीधा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 1084/477 में आता है। उक्त रास्ते के चार फुट चौड़ाई के बाद दोनों तरफ पक्का डण्डा लगा हुआ है। खसरा नंबर 465 एसएच–13 सड़क लगती हुई 1500 वर्गमीटर आवासीय उद्देश्य से रूपान्तरित है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एवं आस पड़ौस की खातेदारी भूमि पर साधन वगैरह ले जाने के लिए एचसीएल के द्वारा डाली गई मैंन सड़क एसएच–13 से पक्की डामर सड़क लगभग 500 मीटर के बाड़ से फट कर कच्चा रास्ता सलंग्न नजरी नक्शे में दिखाये गये खसरों से होता हुआ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 1077/461 में जाता है इसके बाद प्रार्थीगण की ही खातेदारी भूमि लगती है। उक्त कच्चा रास्ता मौके पर चालू है जिससे साधन आसानी से गुजर सकते हैं। प्रार्थीगण के लिए एचसीएल के द्वारा डाली गई पक्की डामर रोड़ जो डैम पर जाती है से फट कर जाने वाले कच्चे रास्ते के अलावा साधन ले जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एचसीएल द्वारा बनाई गई डामर रोड़ से फट कर जाने वाला रास्ता डामर रोड़ के बाद लगभग 18 फुट चौड़ाई का है एवं निकटतम भी है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा नंबर 465 में से रास्ता चाहा गया है उक्त खसरा नंबर का कुछ रकबा 0.15 है. गै.मु. आबादी में परिवर्तित हो चुका है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के जरिये भूमि ख.नं. 465 की दक्षिणी दिशा में जो नजरी नक्शे में दर्शाया गया है के मुताबिक रास्ता चाहा गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के तहत आबादी भूमि में से रास्ता दिया जाना कानूनन उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। चूंकि प्रार्थीगण एचसीएल के द्वारा डाली गई मैंन सड़क एसएच–13 से पक्की डामर सड़क लगभग 500 मीटर के बाड़ से फट कर कच्चा रास्ता सलंग्न नजरी नक्शे में दिखाये गये खसरों से होता हुआ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 1077/461 में जाता है इसके बाद प्रार्थीगण की ही खातेदारी भूमि लगती है। उक्त कच्चा रास्ता मौके पर चालू है जिससे साधन आसानी से गुजर सकते हैं। साथ ही प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12–10–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

12/10/2020

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.12 17:27:25 IST
Reason: SelfAttested